ISSN: 2349-7637 (Online)
Volume-1, Issue-2, September 2014
RESEARCH HUB – International Multidisciplinary Research Journal
Research Paper
Available online at: www.rhimrj.co.in

# भारत में महिला मानवाधिकारः सामान्य विवेचन

महेन्द्र कुमार राजपुरोहित

शोधार्थी, व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) राजकीय दरबार आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जोधपुर (राज.)

---

**शोध सारांशः–** संसार में ईश्वर की अनुपम कृति मानव है। मानव की उत्पति का इतिहास अति प्राचीन है। इसका विकास विभिन्न चरणों से हुआ है। मानव के विकास के साथ ही उसे अधिकार की आवश्यकता महसूस हुई। इस आवश्यकता को ही मानवाधिकार कहा जाता है। मानव को अपनी गरिमा बनाये रखने के लिये मानवाधिकरों की आवश्यकता है। मानव को जीवन की कल्पना अधिकारों के बिना नहीं की जा सकती। वस्तुतः किसी व्यक्ति के मानव होने और मानवबने रहने के लिये अधिकार अनिवार्य है। मानवाधिकारों को स्वीकार करने से मानव सभ्यता का विकास संभव हुआ है।

**संकेताक्षर–** मानवाधिकार, अनुपम, जकड़, जंजीरों, शोषण, इतिहास, असमानता, जनसाधरण।

---

**शोध विस्तार–** प्राचीन समय में मानवाधिकर दिव्य माने जाते थे अर्थात ईश्वर प्रदत्त थे। धीरे–धीरे मनुष्य को जंजीरों में जकड़ दिया गया, उनसे निकलने के लिये अपने अधिकारों का प्रयोग करके आंदोलन किये गये, जिसका परिणाम है कि आज हम स्वतंत्र वातावारण में अपने मानवाधिकारों के साथ जी रहे है।

मानवाधिकारों की संकल्पना उतनी ही पुरानी है,जितनी प्राकृतिक विधि है। प्रकृति पर निवास करने वाले सभी जीव स्वतंत्रता की इच्छा रखते है। मानव को अपने सर्वांगीण विकास व अस्तित्व की रक्षा के लिये स्वतंत्रता आवश्यक है। जिसका ही दूसरा रूप अधिकार है। प्राचीन समय मनुष्य में बल प्रवृत्ति उत्पन्न हुई, जिसके माध्यम से दूसरे के अधिकारों का हनन किया जाने लगा। कुछ लोग अपने आपको शासक समझने लगे तथा अन्य लोगो के साथ जानवरों के समान व्यवहार करने लगें। इस समय मानव में स्वामित्व की प्रवृति उत्पन्न हो गई थी, जो कि अधिकारों का हनन करती हे। इन परिस्थितियों में मानावाधिकार पिछे छूटने लगे। लम्बे समय तक ऐसा चलता रहा, परन्तु बाद में इनका फ्रांसिसी लेखक जीन जैक्स रूसों ने लिखा था ''मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, पर वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है।''[1] अपनी इस सुक्ति में रूसो ने शोषण तथा असमानता के बंधनों में जकड़े हुए जनसाधरण की स्वतंत्र होने की स्वाधीनता, आजादी तथा समानता का बेहतर जीवन प्राप्त करने की आकांक्षा को व्यक्त किया था।

अमरीका तथा फ्रांसिसी क्रांतियों के पश्चात मानव अधिकारों की धोषणा हुई उसके द्वारा मानव के महत्वपूर्ण अधिकारों को स्वीकार किया गया। आधुनिक काल में मानवाधिकारों के लिये संधर्ष इंग्लैड़ में 13वीं शताब्दी में आरम्भ हुआ। 1215 ई में प्रसिद्व मैग्नाकार्ट की धोषणा से संसद कोराज नियंत्रण का अधिकार मिला। 1618 ईं में गोरवपूर्ण क्रांति एवं 16 सितम्बर 1689 की अधिकार धोषणा मानवीय अधिकारों की प्राप्ति के संधर्ष में मील का पत्थर हैं। मानव अधिकारो की धोषणा के आधार पर समता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व को कानूनी अधिकारों की मान्यता प्राप्त हुई।

प्रथम व द्वितिय विश्वयुद्व ने मानवता का घोर विनाश किया, जिसका परिणाम संयुक्त राष्ट्र संघ है। मानवीय कल्याण के लिये 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इस संस्था ने मानवाधिकारों की अभिवृद्धि एवं संरक्षण के लिये प्रयास आरम्भ किये गये। इस संस्था ने मानवाधिकारों को प्रथम बार वैश्विक स्तर पर संरक्षण उपलब्ध कराने का कार्य किया। मानवों के आपसी मानवाधिकार हनन को देखते हुये संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसम्बर 1948 को सभी के लिये उपलब्धि का समान स्तर निर्धारित करने वाला मानवाधिकारों की वैश्विक धोषणा को पारित किया। इसी कारण 10 दिसम्बर सम्पूर्ण विश्व ''मानवाधिकार दिवस'' मनाया जाता है।[2]

मानवाधिकार आयोग (U.N.C.H.R) के धोषणा पत्र में 30 अनुच्छेद है, इसमे मानव के समाज में गरिमामय जीवनयान के सभी बिन्दुओं का समावेश किया गया है, लेकिन यू.एन.ओ. के महासचिव ने 10 दिसम्बर 1990 को कहा था– ''मानव अधिकारों के प्रशासन को सर्वाभौमिक बनाने के लिये अभी हमें बहुत कुछ करना है। आकांक्षाओ एवं वास्ताविकताओं के बीच अत्यंत गहरी खाई है, इसे पाटना अवश्यम्भावी है।''[3]

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव के कुछ कर्त्तव्य निर्धारित किये है–


2014, RHIMRJ, All Rights Reserved

1. प्रत्येक नागरिक मानवाधिकारों का सम्मान करे।
2. मानवाधिकारों के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उन्नति के लिए सहयोग करें।

**महिला मानव अधिकार**

नारी में ममता, माधुर्य एवं महानता का अद्भुत संगम देखा जाता है। वह प्रत्येक अग्नि परीक्षा को पार करती हुई समाज की समस्याओं का सामना कर उनका समाधान करती रहती है। हृदय में वेदना की ज्वालामुखी छिपाए हुए होठों पर मधुर मुस्कान लिए पुरूष से कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयत्न करती है। इसी आधार पर गांधीजी ने स्त्री को अहिंसा का अवतार माना है। पुरूष के समान होने के बावजूद सदियों से स्त्री इन अधिकारों से वंचित रह रही है।

इस स्थिति में ही नया रूप सामाने आया वह महिला मानवाधिकार है। किसी भी जगह अधिकारों को किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं बताया गया है। मानव मात्र के अधिकार सभी को समान रूप से प्राप्त है, परन्तु महिला के साथ ऐसा नहीं हुआ। समाज में पुरूष और महला दोनों समान दूरी है, फिर भी पुरूष को अधिक अधिकार प्राप्त है। समाज को वर्गों में बांट दिया गया, जबकि एक के बिना दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है। प्राचीन समय में स्त्री का मान–सम्मान था, महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था तथा सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। यहां तक कि वेदों में महिलाओं के लिए महान उक्ति लिखी गयी–

''यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवत॥''

''अर्थात जहां नारियों को पूजा जाता है, वहां देवता निवास करते है।''[4]

वैदिक युग में महिलाओं को शिक्षा का, शासन का (राजनीतिक) सामाजिक अधिकार प्राप्त थे तथा पुरूषों के समान कार्य करने का अधिकार था। धीरे–धीरे समाज में नारी की स्थिति कमजोर होने लगी व पुरूष को प्रधान माना जाने लगा।

आधुनिक समय में ये सब देखते हुए मानव अधिकारों व मौलिक स्वतंत्रता के सम्मान की जो बात कही वह समस्त मानवता के संदर्भ में नारी व पुरूष के भेद भुलाकर समान रूप से कही गई है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्थाये बनाई उनमें नारी के सहयोग की अपेक्षा पूर्ण निष्ठा के साथ की गई।[5]

**भारत में महिला मानवाधिकार–** सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राज्य के रूप में स्थापित होने के साथ भारतीय गणराज्य का उदय हुआ। अपनी स्वतंत्रता के साथ ही भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भी बना। अपने पारम्परिक मूल्यों को दृष्टिगत रखते हुए तथा वैश्विक परिदृश्य और संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवीय मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में उसने अपने संविधान का निर्माण किया। संविधान निर्माता, भारत में महिलाओं की अधिकार प्रस्थिति से अपरिचित नहीं थे, साथ ही स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय सहभागिता ने महिला शक्ति को सिद्ध भी कर दिया था। वैश्विक स्तर पर महिला स्वतंत्रता और अधिकारिता के आन्दोलन संचालित किये जा रहे थे। इस समस्त परिदृश्यात्मक विश्व जगत का परिणाम यह हुआ कि भारतीय संविधान में स्त्री अधिकारों का स्पष्ट रेखांकन किया गया। जहां स्त्री को समानता स्वतंत्रता के साथ उसकी खोई गरिमा लौटाने का प्रयास हुआ वहीं हमारी संसद भी इस कार्य में पीछे नहीं रही और समय–समय पर उसने नारी अधिकारों के क्षेत्र में अपनी विधायन शक्ति का प्रयोग करते हुए स्त्री अधिकारों को मजबूत करने और मानव का दर्जा प्रदान करने हेतु विभिन्न अधिनियम बनाये। संविधान के उपबन्धों और भारतीय दंड संहिता एवं विभिन्न अधिनियमों द्वारा महिलाओं को भारत में विभिन्न अधिकार प्राप्त है।[6]

भारतीय संविधान 26 नवम्बर, 1949 को बनकर तैयार हुआ तथा 26 जनवरी, 1950 को इसे जनता को समर्पित किया गया। इसमें एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न गणराज्य स्थापित करने की बात कही गयी, सभी वर्गों को समानता के आधार पर देखा गया है तथा सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए वर्गो के लिए विषेष उपबन्द किये गए हैं। वे समस्त अधिकार जो कि मानव को प्राप्त होने चाहिए उन सब अधिकारों को इसमें समानता के आधार पर समावेषित किया गया है। जिससे सिद्ध होता है कि स्त्रियों को भी वे समस्त अधिकार भारतीय संविधान से प्राप्त हैं, जो कि पुरूषों को प्राप्त है। हमारा संविधान भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय प्रदान करने की मंषा की घोषणा करता है। महिला अधिकारों के संदर्भ में यदि संविधान को दृष्टिगत किया जाए तो यह महिलाओं और पुरूषों में लैंगिक भेदभाव मिटाने का ध्येय रखता है। "इस बात को तूल देता है कि महिलाओं को पारम्परिक रूप से प्रताड़ित किया गया है तथा हीन समझा गया है। इस अन्याय को समाप्त करने के लिए संविधान, सरकार को महिलाओं के हित में विषेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है" तथा "निहित रूप में यह उम्मीद रखता है कि सरकार सभी कमजोर वर्गो, जिसमें महिलाएँ षामिल है, की स्थिति सुधारने के लिए विषेष प्रयत्न करेगी।"[7]

भारतीय संविधान के अन्तर्गत महिला मानवाधिकारों को विशेष रूप से देखा जा सकता है, जिसमें संविधान की प्रस्तावना में महिला मानवाधिकार निहित है, जिसके अनुसार संविधान राष्ट्र का मूलभूत सिद्धांत है। वह राज्य के विभिन्न अंगों का गठन कर उन्हें शरीर देता है, शक्ति देता है। उसके शरीर गठन के पीछे, अंगो की व्यवस्था के पीछे एक प्रेरणा होती है, एक आत्मा होती है, जिसको शब्द रूप मिलता है प्रस्तावना में। सिद्ध है कि प्रस्तावना किसी भी संविधान का दर्पण होती है। भारतीय संविधान की


*2014, RHIMRJ, All Rights Reserved*
*ISSN:* 2349-7637 (Online)

प्रस्तावना को भी इसी रूप में उल्लेखित किया जा सकता है। भारतीय संविधान में महिला मानवाधिकारों की सर्वप्रथम पुष्टि संविधान की प्रस्तावना में ही होती है, 42 वें संविधान संशोधन के पश्चात हमारे संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार से है–

"हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विष्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता सुनिष्चित करने वाली बन्धुआ बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई. (मिति मार्गषीर्ष षुक्ल सप्तमी, सम्वत् 2006 विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते है।"[8]

प्रस्तावना से प्रतिबिम्बित होता है हमारे संविधान का लक्ष्य अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करना है।

सामाजिक न्याय का तात्पर्य है कि समाज में सभी मनुष्यों को मानव होने के नाते महत्व दिया जाना चाहिए और जाति, धर्म, लिंग, सम्पत्ति या अन्य किसी आधार पर भेदभाव नही किया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय की स्थिति के अन्तर्गत अस्पृष्यता या छुआछूत जैसी कृत्रिम सामाजिक दीवारों के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। सामाजिक न्याय का तात्पर्य सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के साथ समानता प्रदान करना है। आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का पूरक है और इसका तात्पर्य सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के साथ समानता प्रदान करना तथा ऐसी व्यवस्था का अन्त करना है, जिसमें कुछ साधन सम्पन्न व्यक्तियों द्वारा बहुसंख्यक साधनहीन व्यक्तियों का षोष्ण किया जाता हों। आर्थिक न्याय के इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी सम्भव है, जबकि उत्पादन और वितरण के साधनों पर समस्त समाज का अधिकार हो और उनका प्रयोग समस्त समाज के हितों की दृष्टि से ही किया जाए। इसमें सभी व्यक्तियों के लिए उनकी क्षमता और योग्यतानुसार रोजगार, रोजगार के बदले में भरण–पोषण के लिए पर्याप्त वेतन और गंभीर आर्थिक विषमताओं का अन्त आदि बातें सम्मिलित है। 'राजनीतिक न्याय' का तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्र और समान रूप से भाग लेने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। वयस्क मताधिकार और धर्म, जाति, वर्ण, लिंग आदि के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी भेदभाव का निषेध राजनीतिक न्याय प्राप्ति के साधन है।[9]

संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत न केवल न्याय वरन् इसके साथ ही स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व को भारतीय संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है। हमारे संविधान निर्माता नकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा से नही, वरन् ऐसी सकारात्मक स्वतंत्रता से प्रेरित थे, जिसके आधार पर व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास सम्भव होता है। इसी आधार पर उनके द्वारा विचार–अभिव्यक्ति, विष्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को संविधान में सीान दिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका की धारणा को अपनाते हुए संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता की रक्षा के साधन की व्यवस्था दी गई है। समानता स्वतंत्रता की पूरक है और हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा समानता को दो 'आयामों' में अपनाया गया है, ये है प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता।[10]

भारतीय लोकतंत्र में समतामूलक न्याय आधारित समाज की सीापना का प्रयास संविधान के उपबधो में निहित है। लिंग आधारित मुद्दे– श्रमिक व कृषक हित, घरेलू हिंसा, महिला अपराध जैसे नव सामाजिक आंदोलन के विषय रहे है।

महिलाओं को समुचित सम्मान दिलाने के लिए कई सामाजिक कार्यकता सक्रिय है। इनमें सेवामंदिर, प्रगतिषील महिला संगठन, सेवा (SEWA) संगठन (इला भट्ट के नेतृत्व में) अस्मिता जैसे संगठन सक्रिय है।

स्त्री विमर्श पत्रिका– सबला, मनुषी, सहेली तथा उत्तरा जैसे सामाजिक पत्रिकाओं ने नारी चेतना विकास किया है। इन आंदोलनो के प्रभावस्वरूप–

दहेज निरोधक अधिनियम
बाल विरोधी अधिनियम
घरेलू हिंसा (निवारण) अधिनियम 2005
कार्यस्थल पर उत्पीड़न (रोकथाम) अधिनियम (2013)
पॉस्को कानून
बलात्कार रोकथाम अधिनियम (2013)
जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी ने महिला अत्याचार, यौन उत्पीड़न रोकथाम के संबध में सरकार को व्यापक सुझाव दिये है।[11]

महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण 50 प्रतिषत बढ़ाकर राजस्थान ने अभिनव पहल की है। संसद तथा विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिषत आरक्षण हेतू 2008 में 108 वां संविधान संषोधन अधिनियम राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया है, जो पुरूष प्रधान समाज की मानसिकता का षिकार होकर अधरझूल में लटक रहा है। इसके अलावा 'समान कार्य के लिए समान वेतन'[12]

समय–समय पर महिला अधिकार उन्नयन हेतू इसके द्वारा विभिन्न अभि समय, इकरारनामें एवं घोषणाये की गयी तो


*2014, RHIMRJ, All Rights Reserved*
*ISSN:* 2349-7637 (Online)

संस्थात्मक तंत्र भी विकसित किये गये। महिला सम्मेलनो द्वारा महिला मानवाधिकारों को वास्तविक रूप प्रदान करने एवं उनकी स्थापना हेतू रणनीति तैयार करने का कार्य किया गया। विषेष रूप से महिला मानवाधिकार के उत्थान हेतू किये गये विभिन्न समझौतों एवं इकरारनामों में महिलाओं के राजनीतिक अधिकारो पर समझौता, विवाहित महिलाओं की राष्ट्रीयता पर समझौता, विवाह की सहमति, विवाह की न्यूनतम आयु एवं विवाह के पंजीकरण पर समझौता तथा महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करने संबधी कनवेंषन इत्यादि का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। इस तरह महिला मानवाधिकारों की स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।[13]

यद्यपि भारतीय समाज में नारी की भूमिका सदैव से अत्यंत गरिमामयी और महत्वपूर्ण रही है, बावजूद इसके वह सदियों से उत्पीड़ित की गई है। इसका कारण हमारे पुरूष प्रधान समाज की संरचना है, जिसने समस्त जनमानस को कुप्रभावित कर रखा है। स्वंय स्त्रियों भी अपनी पिछड़ी संस्कार जनित मानसिकता से उबर नहीं पायी है। आषाजनक वर्तमान स्थिति यह है कि अब महिलाओं के उत्थान और उन्नयन के लिए राजकीय, सामाजिक एवं अन्य गैर राजकीय संस्थाएं व्यापक रूप से कार्यरत है। वस्तुतः सैद्धांतिक दृष्टि से भारतीय परिवेष में महिलाएं व्यापक रूप से अधिकार सम्पन्न है। मनरेगा में महिला श्रमिक को प्राथमिकता, हिंसा निवारण के लिए महिला थानों की स्थापन्ना, तेजाब हमला (Acid Attack) की पुनर्भरण व्यवस्था, प्रसुति अवकाष, मातृषिषु सुरक्षा, महिला स्वास्थ्य व पोषण की व्यवस्था हेतू अनेक प्रयास किये गए हैं।[14]

**निष्कर्षः–**महिलाओं को सम्मान अधिकार दिलाने के लिए अनेक संस्थाए सैद्धातिक रूप में कार्यरत है, परन्तु व्यवहारिता में देखा जाए तो ये सब निरर्थक सिद्ध होते है। यदि ये संस्थाए सुचारू कार्य करती तो समाज में नारी की यह दयनीय स्थिति देखने को नही मिलती, लेकिन कानून सिर्फ तोड़ने के लिए बनते हैं। जब कानून बनता है, उससे पहले उसका दुरूपयोग का तरीका निकाल लिया जाता है।

**सन्दर्भ सूचीः–**

1. नचिकेता सिंह, मानव अधिकारः विभिन्न अर्थ, तपन बिसवाल(सं.), मानवाधिकार, जेण्डर एवं पर्यावरण, विवा बुक्स, नई दिल्ली, 2009 पृ–57
2. संयुक्त राष्ट्र संघ के संबंध में बुनियादी तथ्य, संयुक्त राष्ट्र सूचना केन्द्र द्वारा अनुदित एवं प्रकाशित, 2001 पृ.– 243
3. सुसान मोलर ओकिन, वूमेन इन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, प्रिन्सटन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1979 पृ. –73
4. साधना आर्य, निवेदिता मेनन, जिनी लोकनीता, नारीवादी राजनीतिः संघर्ष व मुद्दे, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 2001 पृ.–57
5. सीमोन द बूवो, द सेकण्ड सेक्स (प्रभा खेतान द्वारा अनुदित), हिंदी पाकेट बुक्स, नई दिल्ली, 2004 पृ.–66
6. सीमोन द बूवो, नोट–5, पृ.–32
7. जॉन स्टुअर्ट मिल स्त्रियों की पराधीनता (प्रगति सक्सेना द्वारा अनुदित), राजकमल, विश्व क्लासिक दिल्ली, 2003, पृ.–14
8. सुसान मोलन ओकिन, नोट–3, पृ.–70
9. साधना आर्य, निवेदिता मेनन, जिनी लोकनीता, नोट–4, पृ.–24
10. साधना आर्य, निवेदिता मेनन, जिनी लोकनीता, नोट–4, पृ.–67
11. साधना आर्य, निवेदिता मेनन, जिनी लोकनीता, नोट–4, पृ.–68
12. साधना आर्य, निवेदिता मेनन, जिनी लोकनीता, नोट–4, पृ.–107
13. संयुक्त राष्ट्र का घोषणा–पत्र संयुक्त राष्ट्र सूचना केन्द्र, नई दिल्ली, 1995, पृ.–24
14. संयुक्त राष्ट्र का घोषणा–पत्र, नोट–13, पृ.–9


*2014, RHIMRJ, All Rights Reserved*
*ISSN:* 2349-7637 (Online)